भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 18
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, 1946 (शक)

गॉवों तथा शहरों से बच्चों के चयन की प्रक्रिया

18. श्रीमती मालविका देवी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरों और गांवों से जिला स्तर के खेलों में बच्चों के चयन की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या छोटे शहरों और गांवों में बच्चों को अच्छे और नवीनतम खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : देश में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनका विकास एक सतत प्रक्रिया है जो मंत्रालय द्वारा संबंधित खेल संवर्धन स्कीमों के माध्यम से निष्पादित की जा रही है ।

इस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) नामक एक स्वायत्त निकाय द्वारा विभिन्न आयु समूहों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें जिला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई)
- साई प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी)
- एसटीसी का विस्तार केंद्र
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

साई की उपर्युक्त संवर्धन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एनसीओई, एसटीसी और विस्तार केंद्रों आदि सहित कुल 187 केंद्र कार्यशील हैं जहां 9,432 प्रतिभावान खिलाड़ियों (5,704 लड़के और 3,728 लड़कियां) को आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है । चयनित एथलीटों को खेल उपकरण, विशेषज्ञ कोचिंग, बोर्डिंग और लॉजिंग, खेल किट आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त, जिला स्तर (शहरों और गांवों सहित) सहित देश में खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलों के संवर्धन और खेलों के स्तर तथा अवसंरचना सुविधाओं यथा स्टेडियमों, खेल के मैदानों, ट्रैक और खेल प्रशिक्षण में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

'खेलो इंडिया' स्कीम के अंतर्गत 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 1059 खेलो इंडिया केंद्रों को सहायता दी जा रही है । इस स्कीम के अंतर्गत पहचाने गए एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कुल 302 अकादमियों को मान्यता दी गई है । वर्तमान में 2737 एथलीटों (1411 लड़के और 1326 लड़कियां) की पहचान की गई है । इसके अलावा, जिला, शहर और गांव के स्तर सहित पूरे देश में स्टेडियमों, खेल के मैदानों, ट्रैक एंड स्पोर्ट्स आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी विकसित किया गया है ।

'खेलो इंडिया' स्कीम के 'खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां' घटक के अंतर्गत पहचाने गए खिलाड़ियों को उपकरण सहायता, प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिता एक्सपोजर आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रु. (पॉकेट भत्ता के रूप में 1.20 लाख रु. सहित) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । उन्हें मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने के विकल्प दिए जाते हैं ।

****